कार्यालय नगरपालिक निगम, चिरमिरी जिला-कोरिया (छ०ग०)

क्र/97 /स्था०-1/न०पा०नि०/2014 चिरमिरी दिनांक 05/03/2014

-:: आदेश ::-

सचिव छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/6-4/06/म0बा0वि0/50 रायपुर दिनांक 17.09.13, क्रमांक/6-4/06/म0बा0वि0/50 रायपुर दिनांक 19.12.2013, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/918/3836/2013/18 नया रायपुर दिनांक 11.02.2014 एवं कार्यालय कलेक्टर (शाखा महिला बाल विकास विभाग, कोरिया--बैकुण्ठपुर) छ0ग0 के पत्र क्रमांक 2709/आई0सी0डी0एस0/म0बा0वि0/14 बैकुण्ठपुर दिनांक 07.02.2014 के द्वारा **विभिन्न प्रकार के कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम** हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार केन्द्र शासन द्वारा नया अधिनियम पारित किया गया है। प्रावधान अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु **''आंतरिक शिकायत समिति''** का गठन कर **''महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ''** बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गए हैं।

उक्त आदेश के परिपालन में नगरपालिक निगम चिरमिरी में महिला नियमित कर्मचारी, महिला सफाई कर्मचारी तथा ठेके पद्वति से कार्यरत कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से बचाने हेतु **''महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ''** का गठन आगामी 03 वर्ष के लिए अस्थाई रुप से किया जाता है। **अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, सदस्यगण** निम्नानुसार हैं --

क्र०	नाम/पद	दायित्व	पता	दूरभाष/फैक्स/मोबाईल नं0
01	श्रीमती ईरा प्रमाणिक सहायक ग्रेड-1	अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी,	नगरपालिक निगम चिरमिरी	07771-263213, 08103013202
02	श्रीमती लिबी पी0अनिल सहायक ड्राफ्टमेन	सदस्य	नगरपालिक निगम चिरमिरी	07771-263213, 09617168848
03	श्रीमती रेहाना बानो, अध्यक्ष, एन0जी0ओ0 (रेहाना महिला कल्याण समिति, चिरमिरी)	सदस्य	सरकारी दफाई, छोटा बाजार, चिरमिरी	07771-263213, 09826500371

- **''महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ''** की बैठक आवश्यकता अनुसार की जानी होगी, किन्तु किसी भी स्थिति में **माह में एक बार अनिवार्य रुप से** होगी। प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायतें तथा इसकी बैठकों की कार्यवाही विवरण लिखित रुप से संधारित किया जाना होगा।
- प्राप्त शिकायतों के संबंध में **प्रकोष्ठ की अध्यक्ष/पीठासीन द्वारा पीड़िता के नाम की गोपनीयता बनाये** रखते हुये आयुक्त को सूचना देना होगा।
- प्रकोष्ठ द्वारा सूचना दिये जाने पर आयुक्त द्वारा शिकायत की जाँच करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जावेगा।
- उपरोक्त **प्रकोष्ठ 31 मार्च की स्थिति में 30 अप्रेल के पूर्व शासन को वार्षिक प्रतिवेदन** प्रस्तुत करेगा, जिसमें वर्ष में प्राप्त शिकायतों तथा इस पर की गई कार्यवाही की जानकारी होगी।
- स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति के कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन रुपये 250.00 (दो सौ पचास रुपये) के भत्ते के लिए हकदार होंगे।

क्रमशः 02 पर

आयुक्त
नगरपालिक निगम
चिरमिरी जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

- ❖ गैर सरकारी संगठनों में नियुक्त सदस्य आंतरिक समिति की कार्यवाहियों आयोजन के लिए प्रतिदिन रुपये 200.00 (दो सौ रुपये) के भत्ते के लिए हकदार होंगे, और रेलगाड़ी से थ्री टायर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस से तथा ऑटो रिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि जो भी कम हो प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे। भत्तों के संदाय नियोक्ता द्वारा की जावेगी।
- ❖ प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कार्यवाही/बैठक के आयोजन कार्यवाही का संचालन/दस्तावेजों का संधारण/कार्यवाही विवरण इत्यादि की संधारण शासन द्वारा जारी किये गये आदेश के एवं भारत का राजपत्र क्रमांक 593 नई दिल्ली सोमवार, 09 दिसम्बर 2013/अग्रहायण 18, 1935 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 09 दिसम्बर 2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय पर शासन द्वारा नवीन आदेश/जारी गाईडलाईन में निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।
- ❖ विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष/सदस्यों के नाम परिवर्तन किया जा सकता है।

आयुक्त
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-कोरिया (छ0ग0)

क्र/ 98 /स्था०-1/न0पा0नि0/2014

चिरमिरी दिनांक 05/03/2014

प्रतिलिपि :-

1. संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आर0डी0ए0 बिल्डिंग, रायपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अवर सचिव छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
4. महापौर/सभापति नगरपालिक निगम चिरमिरी की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय सरगुजा संभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खडगंवा-चिरमिरी, जिला-कोरिया छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
7. महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी कार्यपालन अभियंता, श्री आर0के0चौबे नगरपालिक निगम चिरमिरी की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी कार्यालय, अधीक्षक, न0पा0नि0चिरमिरी, जिला-कोरिया छ0ग0 को सूचनार्थ।
10. समस्त शाखा प्रभारी-तकनीकी/भण्डार/लेखा/स्थापना/स्वच्छता/जल-विद्युत-वाहन-उद्यान/राजस्व/जन्म-मृत्यु/योजना/शिक्षा की ओर सूचनार्थ।
11. श्रीमती ईरा प्रमाणिक, सहायक ग्रेड-1/श्रीमती लिबी पी0अनिल, सहायक ड्राफ्टमेन न0पा0नि0 चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. श्रीमती रेहाना बानो, अध्यक्ष, एन0जी0ओ0 (रेहाना महिला कल्याण समिति, चिरमिरी) पंजीयन क्रमांक-2841 छोटा बाजार चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. श्री बैजनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी न0पा0नि0 चिरमिरी की ओर विभिन्न समाचार पत्रों प्रेस विज्ञप्ति जारी करने/श्री गोपाल कुमार बैद्य, स्टेनो (प्लेसमेंट) न0पा0नि0 चिरमिरी की ओर वेब साईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
14. समस्त महिला कर्मचारी नियमित/(प्लेसमेंट)/सफाई कु0/श्रीमती...को ओर सूचनार्थ।
15. नगरपालिक निगम चिरमिरी के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
16. आयुक्त नस्ती।

आयुक्त
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-कोरिया (छ0ग0)